(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 18/2019

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1– श्री मोहन लाल पुत्र श्री बद्री लाल मीणा उम्र 40 वर्ष जाति मीणा निवासी वार्डनं0 27 अटरू रोड बारां **(मौके पर मोजूद विक्रेता व मालिक)** मैसर्स रवि किराना स्टोर, अटरू रोड बारां।

2– श्री दिनेश कुमार गोयल पुत्र श्री बृज मोहन गोयल निवासी कृष्णा मेटल के पास श्रमिक कॉलोनी मांगरोल रोड बारां **(क्रय बिल जारीकर्ता)** मैसर्स रितेश सॉल्ट सप्लायर्स, मांगरोल रोड कृष्णा मेटल के पास बारां।

3– श्री महावीर छगनलाल जैन पुत्र श्री छगनलाल जैन निवासी टीसीएक्स नार्थ–106 गांधीधाम (कच्छ) गुजरात– 370201 **(क्रय बिल जारीकर्ता)** मैसर्स महावीर सॉल्ट सप्लायर्स एन–106, गांधीधाम (कच्छ) गुजरात।

4– श्री दीपक अरविन्द कुमार मेघानी पुत्र श्री अरविन्द कुमार वनमालीदास मेघानी (नोमिनि) Koteshwar Chemfood Industries Pvt. Ltd. Survey No. 105/1 Village Padana Taluka Gandhidham (Kutch) Gujrat-370201.

5– Koteshwar Chemfood Industries Pvt. Ltd. Survey No. 105/1 Village Padana Taluka Gandhidham (Kutch) Gujrat-370201.

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री महेश प्रकाश गौत्तम अभिभाषक (क्रम 1 ता 5)

निर्णय दिनांक 24.07.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.10.2018 को मैसर्स रवि किराना स्टोर, अटरू रोड बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री मोहन लाल पुत्र श्री बद्री लाल मीणा **(मौक पर मौजूद विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 22.10.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए /नोटिफिकेशन /2011 /440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26. 10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहा पर खाद्य पदार्थ **आयोडाईज्ड नमक(प्राईम)** विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **आयोडाईज्ड नमक(प्राईम)** में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु मालिक को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य वस्तु **आयोडाईज्ड नमक(प्राईम) 01 कि0ग्रा0 की 04 थैलिया** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री मोहन लाल पुत्र श्री बद्री लाल मीणा को 40/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री रवि नागर व श्री आकाश के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु **आयोडाईज्ड नमक(प्राईम) 01 कि0ग्रा0** की 04 थैलियों को चार भाग में कर चार खाली साफ एवं सूखे प्लास्टीक के डिब्बों में मूल पैक के साथ भरकर प्रत्येक डिब्बों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक डिब्बों पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–858 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग कागज में मूल पैकेट कि छायाप्रति के साथ लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए. एच.–858 नियमानुसार चारो नमूना शीशीयों पर नीचे से उपर तक गोलाई में फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री मोहन लाल पुत्र श्री बद्री लाल मीणा ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/206 दिनांक 14.11.2018 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 590/FSSA/Kota /Act/2018/639 दिनांक 06.11.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया,

खाद्य पदार्थ **आयोडाईज्ड नमक(प्राईम)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स रवि किराना स्टोर, अटरू रोड बारां से पत्रांक 209 दिनांक 19.11.2018 द्वारा फर्म का खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र, क्रय बिल एवं अन्य दस्तावेजों की सूचना चाही गई। मैसर्स रवि किराना स्टोर द्वारा प्रतिउत्तर में आधार कार्ड, पेन कार्ड, खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र एवं क्रय बिल कार्यालय में पेश किया गया। मैसर्स रितेश सॉल्ट सप्लायर्स, मांगरोल रोड कृष्णा मेटल के पास बारां से पत्रांक 243 दिनांक 14.12.2018 द्वारा फर्म का खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की सूचना चाही गई। मैसर्स रितेश सॉल्ट सप्लायर्स द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं क्रय बिल कार्यालय में पेश किया। मैसर्स महावीर सॉल्ट सप्लायर्स से पत्रांक 04 दिनांक 01.01.2019 द्वारा फर्म का खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की सूचना चाही गई। मैसर्स महावीर सॉल्ट सप्लायर्स द्वारा प्रतिउत्तर में आधार कार्ड एवं क्रय बिल कार्यालय में पेश किया। Koteshwar Chemfood Industries Pvt. Ltd. Survey No. 105/1 Village Padana Taluka Gandhidham (Kutch) Gujrat-370201 से पत्रांक 49 दिनांक 19.02.2019, 85 दिनांक 26.03.2019 द्वारा फर्म का खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की सूचना चाही गई। Koteshwar Chemfood Industries Pvt. Ltd. द्वारा प्रतिउत्तर में केन्द्रीय खाद्य अनुज्ञा पत्र, नोमिनि फॉर्म 9 एवं नोमिनि आधार कार्ड कार्यालय में पेश किया जिसमें श्री दीपक अरविन्द कुमार मेघानी पुत्र श्री अरविन्द कुमार वनमालीदास मेघानी (नोमिनि) पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 12.06.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 5 द्वारा मय अभिभाषक जवाब प्रस्तुत कर, प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करने हेतु अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **आयोडाईज्ड नमक(प्राईम) 01 कि0ग्रा0** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच में **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ा) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने कहा कि हमारे द्वारा निर्मित नमक को एफ.एस.ए. आई. स्टेण्र्ड से निम्न गुणवत्ता का पाया जिसकी जांच डिस्ट्रिक्ट लेबोरेट्री में भी की गई थी जिसकी प्रति इस जवाब के साथ संलग्न है। नमक एक प्राकृतिक उत्पाद है हम सिर्फ रिफाइनिंग पेकिंग की प्रक्रिया करते है। निर्धारित मात्रा से सेम्पल की जांच में सोडियम क्लोराइड की मात्रा सिर्फ 0.09 प्रतिशत कम पायी गयी है और इनमे वैसी कोई आपदा या हानि उपभोगकर्ता को नही होती है। सेम्पल ड्रा करते वक्त एवं लेबोरेट्री रिपोर्ट आने के बाद भी हमे फूड इन्स्पेक्टर से कोई ब्यौरा नही मिला और इस सेम्पल के काउंटर सेम्पल को सेन्ट्रल लेबोरेट्री में जांच हेतु भेजने का निश्चित समय निकल जाने के बाद हमे मामले की जानकारी हुई है।

यह कि एन.ए.सी.एल. 97 प्रतिशत की जगह 96.9 प्रतिशत पाया गया जो बहुत सूक्ष्म फर्क है, जांचकर्ता भी केमिकल कम्पोजिशन और केलकूलेशन में कही भी थोडा फर्क आ सकता है। इसी सेम्पल को अन्य लेब में अन्य केमिस्ट चैक करेगा तब भी मामूली फर्क आने की संभावना रहती है। हमारी

फेक्ट्री में एफ.एस.ए.आई. की गुणवत्ता मुताबिक अपनी लेबोरेट्री है और पूर्णकालीन क्वालीफाइड केमिस्ट भी है जो मानक गुणवत्ता की प्रति एक एक घण्टा पर जांच करता है और पूरा रिकार्ड भी रखता है। हमारे यहां निम्न स्तर का मानक कन्ज्यूमर पैक में पेकिंग नही होता है। सूक्ष्म ए.टी.आई सूक्ष्म मात्रा का फर्क जांचकर्ता केमिस्ट के केलकूलश, केमिकल फेक्टर और जांच की मेथड से भी आ सकता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी क्रम 1 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 590/FSSA/Kota /Act/2018/639 दिनांक 06.11.2018 के बाद खाद्य पदार्थ **आयोडाईज्ड नमक(प्राईम)** की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। अप्रार्थी क्रम 1 का दायित्व था कम्पनी को सूचित किये जाने का किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **आयोडाईज्ड नमक(प्राईम) 1 कि0ग्रा0 पैक** जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत प्रत्येक अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 5 को 3,000/– 3000/–रूपये की जुर्माना राशि, प्रकरण मे कुल जुर्माना राशि 15,000/– रूपये अक्षरे पद्रह हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे। अप्रार्थी के अभिभाषक अनुपस्थित रहने से, अप्रार्थी को निर्णय की सत्य प्रतिलिपी रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.08.28 13:49:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: